मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2000 (श्रावण 20, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, देवास जिले के ग्राम आमलाताज में एक बालक की गोली से मौत के प्रकरण में पूर्व विधायक को गलत ढंग से दंडित कराने के दोषियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री महेश तिवारी, सदस्य, कटनी के नई बस्ती निवासी एक व्यक्ति की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सुश्री मंजूश्री ठाकुर, सदस्य, खण्डवा जिले की तुकईथड मंडी के आदिवासी क्षेत्र के ग्रामों को बुरहानपुर मंडी मे शामिल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के तत्कालीन जिलाध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री अनूप मिश्रा, रसाल सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, राजगढ जिले में धुआं रहित चूल्हे के वितरण में भ्रष्टाचार होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, पर्यटन विकास निगम संचालक मंडल द्वारा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के मामले में वित्त विभाग की अनदेखी के कारण शासन को करोड़ों की हानि होने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रसाल सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के पीपलखेड़ा में स्थापित नेत्र शिविर में किये गये आपरेशन से आंखें खराब होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, भोपाल नगर निगम की वार्ड समितियों के गठन हेतु क्षेत्रों के परिवर्तन में अनियमितता होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित फॉक्स डिस्टलरी द्वारा प्रदूषित पानी छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री धरमू राय, गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले की सहकारी विपणन समिति खुरई की अध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पौध संरक्षण यंत्रों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सत्यनारायण पटेल, सदस्य, इंदौर नगर में अतिक्रमण कर अवैध रूप से भवनों का निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री तेजसिंह सेंधव, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल के बूढ़ाखेड़ा बस्ती बैरागढ के निवासियों को विस्थापित किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, भिण्ड जिले में नलकूप खनन कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री विनोद डागा, सदस्य, बैतूल जिले में अघोषित विद्युत कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शासन द्वारा शीघ्रलेखकों को सहायक ग्रेड वेतनमान दिये जाने संबंधी कार्यवाही न की जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खंडवा जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत किये गये निर्माण कार्यों में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, दमोह स्थित सरस्वती हाई स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम रोके जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्रीमती श्यामा धुवा, सदस्य, कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड में मलेरिया से मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(20) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कमल पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विखंडन के संबंध में भ्रमपूर्ण स्थिति होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री नरेन्द्र बिरथरे, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, प्रदेश में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों एवं औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विद्युत चोरी की जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी (रानी मां), सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(23) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, सदस्य, दुर्ग जिले के खेदामास विद्युत सब स्टेशन से 400 एन.बी.ए. ट्रांसफार्मर हटाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, उमरिया जिले के हाईस्कूल बकेली में पदस्थ प्राचार्य की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियो द्वारा विदेश यात्राएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के वन परिक्षेत्र डोंगरगढ़ में तेन्दूपत्ते की अवैध निकासी किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री कमल पटेल, सदस्य, देवास जिले में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री तेजसिंह सेंधव, बृजमोहन बद्रीनारायण, कमल पटेल, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पूंजापुरा के पास पुलिस वाहन से लकड़ी चोरी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, रायपुर जिले में मस्तिष्क ज्वर व मलेरिया का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री अजय चन्द्राकर (डाला), शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मंडी बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के पुल-पुलियों आदि हेतु निर्माण कार्य न कराये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) सर्वश्री कंकर मुंजारे, महेश तिवारी, सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बालाघाट जिले के चांगोटोला थाने में पुलिस प्रताड़ना से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री विधान मिश्रा, सदस्य, रायपुर शहर के मास्टर प्लान में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम कन्हार से बड़ी संख्या में डकैतों द्वारा मवेशियों की चोरी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी (रानी मां), सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(35) सर्वश्री मदन गोपाल सिंह, धर्मजीत सिंह, गुलाब सिंह, सदस्य, सरगुजा जिले के वाड्रफनगर में सेवानिवृत्त कर्मी द्वारा हत्या कर आत्म हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना के ग्राम छिंदबर्री की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) सर्वश्री सुरेन्द्र चौधरी, सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, बालाघाट जिले में नक्सलियों की धमकी से तीन गांव खाली होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम ऊमरी में गाय की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) सर्वश्री रसाल सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम सिंहपुर से दो कर्मचारियो का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) सर्वश्री उमेश शुक्ला, रामदयाल अहिरवार, छतरपुर जिले के ग्राम लरवा में पुलिस द्वारा तोड़फोड़ व मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम चमरौहा में अज्ञात बीमारी का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री स्वामी प्रसाद, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बमनौरा के पूर्व सरपंच का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के बलड़ी एवं चांदगढ़ रेंज में तेन्दूपत्ता बोनस वितरण में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा स्थित बड़े तालाब का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) सर्वश्री बाबूलाल गौर, मगनलाल गोईल, लालसिंह, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अनेक विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में सिंचाई हेतु बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) प्रो. गोपाल राम, सदस्य, सरगुजा जिले के मैनपाठ विकास खण्ड के ग्रामों में मलेरिया से मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम पिपलिया केवट के व्यक्तियों को भूमि वापसी का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में अवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर स्थित सेठ गोविंदराम सुगर मिल के कर्मचारियो द्वारा आन्दोलन किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री चैन सिंह सामले, जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम काशीगढ़ में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) श्री मदन सिंह डहरिया, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में किसानों की धान खरीदी समर्थन मूल्य पर न होने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(54) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, प्रदेश के जेल प्रहरियों का शोषण होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री भारत सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बिसाहू लाल सिंह, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री माधव सिंह ध्रुव, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के कोलार रोड स्थित झुग्गी बस्ती में विद्युत् कनेक्शन दिलाये जाने; तथा

(2) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा शहर की सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, जेल मंत्री, दिनांक 10 फरवरी, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्रमांक-1608) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, दिनांक 14 फरवरी, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक-489) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री प्रतापसिंह उइके, राज्यमंत्री आदिम जाति कल्याण, दिनांक 28 जुलाई, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक-1283) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 23 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 24 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (3) श्री हजारीलाल रघुवंशी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 25 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (4) श्री तेजीलाल सरयाम, राज्यमंत्री कृषि, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 26 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. "सदन का यह मत है कि जिन व्यक्तियों एवं पशुओं की बिजली करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, उनको भी आर.बी.सी. में संशोधन करके मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाय".

(2) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. "सदन का यह मत है कि देवास में आरंभ की गई भू-जल संवर्धन मिशन के तहत रूफवाटर हारवेस्टिंग तकनीक प्रदेश के समस्त जिलों में भू-जल संवर्धन के लिए लागू की जाय".

(3) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि इंदिरासागर परियोजना से डूब प्रभावित लोगों को कमांड क्षेत्र में बसाया जाय तथा ग्राम चांदेल के पास की उद्वहन सिंचाई से खंडवा और पुनासा विकासखंडों को सिंचित किया जाय".

(4) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले सभी बेरोजगारों को गुमटी/भूखंड/दुकानों का पट्टा दिया जाय".

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 अगस्त, 2000